

## तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच गतरिोध

### प्रलिमिंस के लयि:

आंध्र प्रदेश पुनरगतन अधनियिम 2014, सर्वोच्च न्यायालय, केंद्र सरकार की भूमिका ।

### मेन्स के लयि:

तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच गतरिोध, अंतरराज्यीय वविाद ।

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में आंध्र प्रदेश ने **आंध्र प्रदेश पुनरगतन अधनियिम, 2014** के तहत संपत्त और देनदारयों के "न्यायसंगत, उचित एवं समान वभिाजन" की मांग करते हुए [सर्वोच्च न्यायालय](#) के समक्ष याचिका दायर की है ।

### पृष्ठभूमि:

- 2 जून, 2014 को आंध्र प्रदेश के उत्तर-पश्चिमी हसिसे को अलग कर **तेलंगाना के रूप में 29वें राज्य का गठन कयिा गया ।**
- **राज्य पुनरगतन अधनियिम (1956) के माध्यम से हैदराबाद राज्य के तेलुगू भाषी कषेत्रों को आंध्र प्रदेश राज्य के साथ वलिय कर** वसितृत आंध्र प्रदेश राज्य का नरिमाण कयिा गया ।
- **आंध्र प्रदेश पुनरगतन अधनियिम (2014)** ने आंध्र प्रदेश को दो अलग-अलग राज्यों अरथात् आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में वभिाजति कयिा ।
- अवभिाजति आंध्र प्रदेश के वभिाजन के आठ वर्ष से अधिक समय के बाद भी दोनों राज्यों के बीच संपत्त और दायतित्वों का आवंटन अस्पष्ट बना हुआ है क्योंकि प्रत्येक राज्य **आंध्र प्रदेश पुनरगतन अधनियिम 2014** के प्रावधानों की व्यक्तगत व्याख्या लागू करता है ।

### संबंधति मुद्दे:

- **12 संस्थानों का अधनियिम में उल्लेख नहीं कयिा गया है:**
  - इस नरिगम में 245 संस्थान शामिल हैं जिनकी कूल स्थायी संपत्त का मूल्य 1.42 लाख करोड़ रुपए है ।
  - अधनियिम की अनुसूची IX के अंतरगत **91 संस्थान और अनुसूची X के अंतरगत 142 संस्थान हैं ।**
  - अधनियिम में उल्लिखित अन्य 12 संस्थाओं का वभिाजन भी **राज्यों के बीच वविादास्पद** बना हुआ है ।
- **संपत्त और देनदारयों के वभिाजन में देरी:**
  - आंध्र प्रदेश ने खेद व्यक्त कयिा कि तेलंगाना सरकार ने शीला भडि की अध्यक्षता वाली वशिषज्ज समति द्वारा दी गई **सफिरशों को चुनदिा रूप से स्वीकार कर लयिा था, जिसके परणामस्वरूप संपत्त और देनदारयों के वभिाजन में देरी हुई थी ।**
    - समति ने अनुसूची IX के 91 संस्थानों में से 89 के वभिाजन के संबंध में सफिरशों की हैं ।
  - आंध्र प्रदेश का तर्क है कि वभिाजन की प्रकरयिा में तेज़ी लाने और इन संस्थानों के वभिाजन को अंतिम रूप देने के लयि सफिरशों को जल्दबाज़ी में स्वीकार कर लयिा गया ।
- **संपत्त के बँटवारे को लेकर वविाद:**
  - मुख्यालय की संपत्तयों का हसिसा न बनने वाली संपत्तयों के वभिाजन को लेकर वशिषज्ज समति की सफिरशों **कतेलंगाना सरकार ने आलोचना करते हुए कहा कि यह पुनरगतन अधनियिम की भावना के खलिाफ है ।**

### केंद्र की भूमिका:

- गृह मंत्रालय (MHA) ने वर्ष 2017 में मुख्यालय परसंपत्तयों के बारे में स्पष्टता प्रदान की ।
- एक एकल व्यापक राज्य उपकरम (जसिमें मुख्यालय और परचालन इकाइयों शामिल हैं) जो वशिष रूप से एक स्थानीय कषेत्र में स्थति है या इसका संचालन एक स्थानीय कषेत्र में सीमति है, के मामले में गृह मंत्रालय का कहना है कि **इसे पुनरगतन अधनियिम की धारा 53 की उप-धारा (1) के अनुसार स्थान के आधार पर वभिाजति कयिा जाएगा ।**

- अधुनियुड केंदुर सरकलर कुओ आवशुडकतल डडने डर हसुतकुषेड करुने कल अधकलर देतल है ।

नुओतः

- सरवुओकुड नुडलललड अडने डूल अधकलर कुषेडुर डें रलकुडुुं के डीक ववलदुुं कल नरुणड करतल है ।
  - संवधलन के अनुकुषेद 131 के अनुसलर, डलरत सरकलर और एक डल अधकल रलकुडुुं के डीक डल डलरत सरकलर और कसुी डी रलकुड के डीक डल दुओ डल से अधकल रलकुडुुं के डीक कुओई डी ववलद सरवुओकुड नुडलललड कल डूल अधकलर कुषेडुर है ।
- संवधलन के अनुकुषेद 263 के तहत अंतररलकुडुुड डरडुड से ववलदुुं डर डुुछतलछ और सलललह देने, सडी रलकुडुुं के सलडलनुड वडुडुुं डर कुरुडल करुने और डेहतर नुडतल सडनुवड हेतु सडलरलरुुं करुने कल अडेकुषल कल डलतल है ।

## अंतररलकुडुुड ववलदुुं कुओ सुलडुलने हेतु डललः

- संवधलन दुवलरल अंतररलकुडुुड डरडुड कुओ डुरदलन उतुतरदलडतुतुुुं (अंतररलकुडुुड ववलदुुं के सडलधलन के संदरुड डें) कुओ केवल कलडुुं डें नुही डलकुड वलसुतवकलतल डें डुरल करुने कल आवशुडकतल है ।
  - इसुी तरह सलडलकल और आरुथकल डुओनल, सीडल ववलद, अंतर-रलकुड डरवलहन आदल से संडंधतल डुरतुडेक कुषेडुर डें रलकुडुुं कल कुनुतलडुुं के संदरुड डें कुरुडल करुने हेतु कुषेडुरीड डरडुडुुं कुओ डुडुडुुत करुने कल आवशुडकतल है ।
- डलरत ववलधलतल डें एकतल कल डुरतुुक है । हललुुक इस एकतल कुओ और डुडुडुुत करुने के लडुु केंदुर एवरलकुड सरकलरुुं दुनुुं कुओ सहकलरी संघवलद के लुओकलकलर कुओ आतुडसलत करुने कल आवशुडकतल है ।

## UPSC सवललल सेवल डरुीकुषल, वगलत वरुष के डुरशुन

डुरशुन. केंदुर और रलकुडुुं के डीक ववलदुुं कल डुसलल करुने के लडुु डलरत के सरवुओकुड नुडलललड कल शकुतलकलसलके अंतरगुत है? (2014)

- (a) सलललहकलर कुषेडुरलधकलर
- (b) अडुुीलुड कुषेडुरलधकलर
- (c) डूल अधकलर कुषेडुर
- (d) रतल कुषेडुरलधकलर

उतुतरः (c)

[सरुओतः द हदुु](#)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/stalemate-between-telangana-and-ap>